



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



17 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 268 राँची, मंगलवार,

7 मई, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

25 जनवरी, 2024

संख्या-11/बंदी विविध-05/2021-465—झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की दिनांक-10.01.2024 को संपन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्न 02 (दो) बंदियों को कारा मुक्त करने के पूर्व The Code of Criminal Procedure, 1973 की धारा-435 के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	कारा का नाम	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	सत्र वाद सं०, धारा एवं न्यायालय का नाम
1	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	अमरेन्द्र कुमार सिंह, पिता- उमेश शर्मा, ग्राम- सुलतानपुर थाना- मखदुमपुर जिला- जहानाबाद (बिहार)।	RC Case No.- 17(S)/94, सत्र वाद सं०-158/98, सत्र वाद सं०- 107/03, 302/1208 भा०द०वि०एवं 27

			आर्म्स एक्ट, माननीय न्यायालय, नोमन अली, सप्तम अपर न्यायायुक्त, सह-विशेष न्यायाधीश, सी०बी०आई०, राँची। सजा की अवधि- आजीवन कारावास एवं Fine Rs-6,000/- 1/D-03 Months days
2	बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची।	ललित चन्द्र विश्वास उर्फ राजीव सेन उर्फ राजू उर्फ अनवर खान उर्फ जहाँगीर खान उर्फ अजय चक्रवर्ती, पै० लक्ष्मीकांत विश्वास, स्थायी, पता-मलय अधिकारी, लीचु बगान मार्केट, थाना-कचड़ा पाड़ा, जिला-(North) 24 परगना, पश्चिमी बंगाल एवं वर्तमान पता- काशीडीह थाना- साकची, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।	RC-17(S)/94 (R), सत्र वाद संख्या- 158/98 एवं सत्र वाद संख्या-107/03, धारा- 302/120 B IPC and 27 Arms Act माननीय न्यायालय, मो०मोमान अली, सप्तम अपर न्यायायुक्त, सह- विशेष न्यायाधीश, C.B.I. राँची। आजीवन कारावास एवं Fine Rs- 6,000/-।/D- 03 Months

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव
